उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-1/2017/4(1)/2002-का-2

लखनऊ, दिनांक: 12 जनवरी, 2017

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में उल्लिखित अनुसूची एक की अन्य पिछड़े वर्गों की कतिपय जातियाँ अन्य पिछड़े वर्गों के बजाय अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त करने के हकदार समझी जायेगी विषयक इस अधिनियम की धारा 13 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर अधिसूचना संख्या-4(1)/2002-का-2, दिनांक 31.12.2016 तकनीकी कारणों से ऑनलाइन जारी नहीं की जा सकी, जिसे केवल ऑफलाइन जारी किया गया। तकनीकी कारणों के निराकरण के पश्चात् अधिसूचना संख्या-4(1)/2002-का-2, दिनांक 31.12.2016 को संलग्नक के रूप में ऑनलाइन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,

योगेश चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या-1/2017/4(1)/2002-का-2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर पदेश।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

योगेश चन्द्र
विशेष सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

www.bharatvashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-4(1)/2002-का-2

लखनऊ, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में उल्लिखित अनुसूची एक की अन्य पिछड़े वर्गों की कतिपय जातियाँ अन्य पिछड़े वर्गों के बजाय अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त करने के हकदार समझी जायेगी विषयक इस अधिनियम की धारा 13 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर अधिसूचना संख्या-4(1)/2002-का-2, दिनांक 31.12.2016 जारी कर दी गई है।

आज्ञा से,

योगेश चन्द्र

विशेष सचिव।

संख्या-4(1)/2002-का-2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर पदेश।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री को उक्त अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
12. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

योगेश चन्द्र

विशेष सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-4(1)/2002-का-2

लखनऊ, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते है :-

संशोधन

(1) उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में से निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी, अर्थात् :-

(12) कहार, कश्यप (13) केवट, मल्लाह, निषाद (16) कुम्हार, प्रजापति (29) धीवर (38) बिन्द (40) भर, राजभर।

(2) उक्त अनुसूची-1 की प्रविष्टियों को उनके भाग-1 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित अनुसूची-एक के भाग-1 पश्चात् निम्नलिखित भाग बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

भाग - दो

नागरिकों के पिछड़े वर्ग, जो अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जातियों के समझे जायेंगे और उनकी प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे,

1. कहार, कश्यप
2. केवट, मल्लाह, निषाद
3. कुम्हार, प्रजापति
4. धीवर
5. बिन्द
6. भर, राजभर

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

www.bhartiyashasnadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

भाग - तीन

नागरिकों के निम्नलिखित वर्ग, अधिनियम के अधीन अनुसूचित जातियों की प्रसुविधा प्राप्त करने के हकदार समझे जायेंगे :-

1. धीमर
2. बाथम
3. तुरहा
4. गोडिया
5. मांझी
6. मछुआ

आज्ञा से,

के.एस. अटोरिया,
अपर मुख्य सचिव।

www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4/1/2002-ka-2/2016, dated, December 31, 2016:

NOTIFICATION

No. 4/1/2002-ka-2,
Dated Lucknow, 31 December, 2016

IN exercise of powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule-I to the said Act:-

AMENDMENT

(1) In Scheduled-1 to the aforesaid Act the following entries shall be ommitted namely:-

(12) Kahar, Kashayap (13) Kewat, Mallah, Nishad (16) Kumhar, Prajapati (29) Dhiver (38) Bind (40) Bhar, Rajbhar.

(2) Entries of the said Schedule-1 shall be renumbered as part-1 thereof and after part-1 of Schudule-1 as so renumbered the following parts shall be insereted namely:-

Part-II

Backward classes of citizen who shall be deemed to be, and entitled to get benefit of Scheduled Castes instead of backward class under the Act :

1) Kahar, Kashayap,
2) Kewat, Mallah, Nishad
3) Kumhar, Prajapati
4) Dhiver
5) Bind
6) Bhar, Rajbhar.

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

www.bhartiyashasnadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

Part-III

Following classes of citizen shall be deemed to be entitled to get benefit of Scheduled Castes under the Act :

1) Dheemar
2) Batham
3) Turha
4) Godia
5) Manjhi
6) Machhua

By Order,

K.S. Atoria
Apar Mukhya Sachiv.

www.bhartiyashasnadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।